निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–A 168/18
दायरा दिनांक :–05.10.2018
निर्णय दिनांक :–14.05.2022

उनवान

1. श्रीमति सीमा पत्नी श्री विनोद कुमार आयु वर्ष जाति महाजन निवासी श्री जी चौक बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. श्रीमति कमलेशबाई पत्नी श्री बालकिशन आयु वर्ष जाति धाकड़ निवासी रेतवाली केथुनीपोल कोटा जिला कोटा (राजस्थान)
2. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नंदकिशोर आयु वष्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम–खंडगांव तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
3. दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल आयु वर्ष जाति महाजन निवासी गणेश तालाब कोटा जिला कोटा (राज0)
4. श्रीमति नंदा पत्नी श्री प्रेमशंकर आयु वर्ष जाति अहीर निवासी कॉलेज बाईपास रोड बारां जिला बारां(राज0)
5. महेंद्र पुत्र श्री रामकिशन आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी कोटा जिला कोटा (राज0)
6. महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ आयु वर्ष जाति किराड़ निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां (राज0)
7. श्रीमति रेखा कुमारी पत्नी श्री प्रीतम कुमार आयु वर्ष जाति किराड़ निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां राज0
8. सूरजमल उर्फ भैरूलाल पुत्र श्री रामनाथ आयु वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम –नलका तहसील बारां जिला बारां राज0
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.05.2022
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री वी के गौतम – वादी
2.ओपी मेहता–प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी बारां

सदस्य ... अध्यक्ष ... बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम नलका तहसील बारां के हाल खेवट खतौनी संख्या 154 नया पुराना 178 के खसरा नं. 76 क्षै0 1.85 है0 कुल किता 1 कुल क्षै0 1.85 है0 आराजियात अवस्थित है। उक्त आराजियात के वादी का 8/63 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है। विवादित आराजियात वादी ने 8/63 हिस्सा क्रय किया था। जिसका जमाबंदी में अंकन हो गया है तबसे वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे बोलचाल नहीं होने से दोनो पक्ष अपसी सहमति से विवादित आराजी विधिवत बंटवारा करवाने में असमर्थ है। विवादित आराजी का पृथक खाता ने होने से वादी को अपने हक हिस्से की आराजी के विकास एवं सुधार व बैंक से ऋण प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी के हक हिस्से की आराजी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान न करने बाबत वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीया का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उप0 होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नलका सम्वत 2071–74 खाता सं0 154, पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मे उप0 होकर जर्ये अभिभाषक गण द्वारा राजीनामा पेश किया गया कि ग्राम नलका की खाता सं0 154 के ख0नं0 76 रकबा 1.85 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें हम पक्षकारान क मध्य अपने–अपने हिस्से एवं मौके के कब्जे अनुसार बंटवारा हो रहा है। जिसका लोक अदालत की भावना से राजस्व रिकार्ड में खाता पृथक–पृथक दर्ज कर पृथक से लगान निर्धारित किया जाकर लोक अदालत की भावना से मुकदमे का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनाभा एवं पत्रावली का व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम नलका सम्वत 2071–74 खाता सं0 154 में वादी एवं प्रतिवादी गण के नाम खातेदारी में दर्ज है। इससे साबित होता है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी गण राजीनामा के आधार पर अपने–अपने हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहते है। जिससे उभय पक्षकारान सहमत है। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य उपखण्ड अधिकारी बारां

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत (ता विधिक सेवा प्राधिकरण बारां (राज.)

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तह0 बारां के ख0नं0 76 रकबा 1.85 है0, भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या ए 168/18	धारा अन्तर्गत 53, 188 आर टी एक्ट,	
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		निर्णय दिनांक :–14.05.2022
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री वी के गौतम	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री ओमप्रकाश मेहता	

वाद शीर्षक

उनवान

1. श्रीमति सीमा पत्नी श्री विनोद कुमार आयु वर्ष जाति महाजन निवासी श्री जी चौक बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. श्रीमति कमलेशबाई पत्नी श्री बालकिशन आयु वर्ष जाति धाकड़ निवासी रेतवाली केथुनीपोल कोटा जिला कोटा (राजस्थान)
2. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नंदकिशोर आयु वष्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम–खंडगांव तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
3. दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल आयु वर्ष जाति महाजन निवासी गणेश तालाब कोटा जिला कोटा
4. श्रीमति नंदा पत्नी श्री प्रेमशंकर आयु वर्ष जाति अहीर निवासी कॉलेज बाईपास रोड बारां जिला बारां(राज0)
5. महेंद्र पुत्र श्री रामकिशन आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी कोटा जिला कोटा (राज0)
6. महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ आयु वर्ष जाति किराड़ निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां (राज0)
7. श्रीमति रेखा कुमारी पत्नी श्री प्रीतम कुमार आयु वर्ष जाति किराड़ निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां राज0
8. सूरजमल उर्फ भैरूलाल पुत्र श्री रामनाथ आयु वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम –नलका तहसील बारां जिला बारां राज0
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तह0 बारां के ख0नं0 76 रकबा 1.85 है0, भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.05.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 168/2018 | धारा अन्तर्गत 188,53 आरटीएक्ट | निर्णय दिनांक : 11.02.2023

समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री वी0के0 गौतम एड0 | अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री ओ0 पी0 मेहता एड0

वाद शीर्षक

उनवान

श्रीमति सीमा पत्नी श्री विनोद कुमार जाति महाजन निवासी श्री जी चौक बारां जिला बारां राज0
–वादीगण

बनाम

1. श्रीमति कमलेशबाई पत्नी श्री बालकिशन जाति धाकड़ निवासी रेतवाली केथुनीपोल कोटा जिला कोटा (राजस्थान)
2. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम–खंडगांव तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
3. दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल जाति महाजन निवासी गणेश तालाब कोटा जिला कोटा (राज0)
4. श्रीमति नंदा पत्नी श्री प्रेमशंकर जाति अहीर निवासी कॉलेज बाईपास रोड बारां जिला बारां(राज0)
5. महेंद्र पुत्र श्री रामकिशन जाति राजपूत निवासी कोटा जिला कोटा (राज0)
6. महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड़ निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां (राज0)
7. श्रीमति रेखा कुमारी पत्नी श्री प्रीतम कुमार जाति किराड़ निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां राज0
8. सूरजमल उर्फ भैरूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम –नलका तहसील बारां जिला बारां राज0
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–
प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. श्रीमति सीमा पत्नी श्री विनोद कुमार जाति महाजन निवासी श्री जी चौक बारां	76	0.48 है0		पूर्वी
2. श्रीमति कमलेशबाई पत्नी श्री बालकिशन जाति धाकड़सा0 देह	76	0.31 है0		मध्य दक्षिणी
3. रेखा कुमारी पत्नी श्री प्रीतम कुमार हि0 1/2 जाति किराड़श्रीमति नंदा पत्नी श्री प्रेमशंकर हि0 1/2जाति अहीर	76	0.31 है0		मध्य उत्तरी
4. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नंदकिशोरहि0 285/1920 जाति ब्राह्मण,दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल हि0 856/1920 जाति महाजन,महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ हि0 494/1920 जाति किराडमहेंद्र पुत्र श्री रामकिशन हि0 285/1920 जाति राजपूत	76	0.75		पश्चिमी

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक [illegible] विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया [illegible] है। [illegible]रूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।
साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज [illegible] को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	व्ययानुतोष प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
[illegible]	[illegible]		